



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1938 (श०)

(सं० पटना 274) पटना, मंगलवार, 5 अप्रील 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

5 अप्रील 2016

सं० 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-1485—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित बिहार उत्पाद अधिनियम, 2016) की धारा-19 (4) में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुये राज्य सरकार तात्कालिक प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में किसी अनुज्ञाधारी या किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी शराब का थोक या खुदरा व्यापार और उपभोग पर रोक लगाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

के० के० पाठक,

सरकार के प्रधान सचिव।

5 अप्रील 2016

सं० 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016-1485—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

के० के० पाठक,

सरकार के प्रधान सचिव।

The 5th April 2016

No. 11/Nai Utpad Niti-01-03/2016-**1485**—In exercise of the powers conferred under Section-19(4) of the Bihar Excise Act, 1915 (as amended by Bihar Excise (Amendment) Act, 2016), the State Government hereby imposes ban on wholesale or retail trade and consumption of foreign liquor by any license holder or any person in the whole of the State of Bihar with immediate effect.

By Order of the Governor of Bihar,

K.K.PATHAK,

Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 274-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>